समाचार पत्रों की कतरनें

फरवरी 2025

सड़क दुर्घटनाओं में इस वर्ष 10 फीसदी कमी का लक्ष्य तय

अभियान में जनभागीदारी से फैलाई सड़क सुरक्षा बारे जागरूकता

वरिष्ठ संवाददाता ■ धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश में पिछले दो-तीन वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं व दुर्घटनाओं में मौत के मामलों में 2 से 3 फीसदी कमी दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष इन घटनाओं व मौत के मामलों में 10 फीसदी कमी लाने का लक्ष्य तय किया है, जिसके तहत एक माह का रोड सेफ्टी अभियान प्रदेशभर में चलाया गया।

■ जागरूकता बोर्ड लगाने के साथ ब्लैक स्पॉट सुधार रहा विभाग

आरटीओ जिला कांगड़ा प्रदीप कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में 50 फीसदी कमी लाने का यूनाइटेड नेशन की ओर से लक्ष्य दिया गया है, उसके तहत अभियान के माध्यम से सड़क सुरक्षा अभियान में जनभागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। अभियान में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नैशनल हाईवे की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई। लोक निर्माण विभाग भी जागरूकता वाले साइन बोर्ड लगा रहा है और ब्लैक स्पॉट के सुधार में जुटा है। जिला कांगड़ा में परिवहन विभाग द्वारा अधिकतर चालान बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के काटे गए हैं, जबकि पुलिस विभाग द्वारा ओवरस्पीड के चालान काटे जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

दुर्घटनाओं में कमी के लिए अभियान

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार हर साल लगभग 80,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, जिसका मुख्य कारण सड़क सुरक्षा जागरूकता की कमी है। भारत में, सड़क दुर्घटनाएं मृत्यु और चोट का एक प्रमुख कारण है और सड़क सुरक्षा जागरूकता एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनी हुई है। जीवन बचाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सड़क सुरक्षा आवश्यक है।

2-3 साल में बढ़ी चालानों की संख्या

आरटीओ ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा किए जाने वाले चालानों की संख्या पिछले 2-3 साल में बढ़ी है। इसमें समस्या यह है कि चालान ऑनलाइन किए जा रहे हैं, जो लोगों के मोबाइल पर चालान का मैसेज जाता है, लेकिन देखने में आया है कि ऑनलाइन चालान का लोग भुगतान नहीं कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि जब जरूरत होगी, तभी चालान भरेंगे।

सख्त कार्रवाई करेगा विभाग

बकौल आरटीओ बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों में परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। विभाग का कहना है कि जरूरत पड़ी तो 3 माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड करेंगे तथा आरसी सस्पेंशन के लिए सभी आरएलए से भी आवाह किया जाएगा, जिससे कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों में जागरूकता आए कि चालान कटा है तो भरना भी पड़ेगा।

हिमाचल दस्तक , दिनांक 01. फरवरी 2025
पेज न0 15, कालम1, 2,3,4

एडीसी डॉ. निधि पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की जागरूकता मैराथन

बिलासपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन

हिमाचल दस्तक ■ बिलासपुर

बिलासपुर में शुक्रवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता माह के समापन अवसर पर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न शिक्षण संस्थानों के 100 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. निधि पटेल ने जागरूकता मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उपस्थित लोगों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई।

उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य है और सभी नागरिकों को इनका कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) और पुलिस विभाग को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए बधाई दी।

इस अवसर पर आरटीओ राजेश कुमार कौशल ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ एक जनवरी 2025 को उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक द्वारा शपथ दिलाकर किया गया था। इसके पश्चात आरटीओ ऑफिस, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग ने मिलकर जिले के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. निधि पटेल ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने सभी वाहन चालकों से अनुरोध किया कि वे नियमित रूप से हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें। ट्रैफिक सिग्नल और गति सीमा का पालन करें तथा सड़क पर सतर्कता बरतें ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

■ कहा- यातायात नियमों के पालन से सड़क दुर्घटनाओं पर लगेगा अंकुश

सड़क सुरक्षा को लेकर 50 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में किया विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन : आरटीओ

आरटीओ राजेश कुमार कौशल ने बताया कि इस माह के दौरान 50 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में सड़क सुरक्षा को लेकर नुक्कड़ नाटक, गायन, निबंध, पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके अलावा पंचायत स्तर पर भी नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पेट्रोल पंपों, ऑटोमोबाइल एजेंसियों, ड्राइविंग स्कूल, वाहन पासिंग व ड्राइविंग टेस्ट सेंटरों, पॉल्यूशन चेक सेंटरों पर भी विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां लोगों को यातायात नियमों, वाहन चालने के सही तरीकों और सड़क सुरक्षा उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई।

हिमाचल दस्तक , दिनांक 01. फरवरी 2025
पेज न0 6, कालम 2,3,4,5,6

गेयटी थियेटर में सड़क सुरक्षा माह का समापन व सम्मान समारोह आयोजित

दुर्घटना में घायलों की मदद करना पुनीत कार्य: ओंकार शर्मा

हिमाचल दस्तक ▮ शिमला

शिमला के गेयटी थियेटर में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा माह के समापन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें राजस्व एवं गृह विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने बतौर मुख्यअतिथि शिरकत की। ओंकार शर्मा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के दौरान बचाव कार्यों में आमजन को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। इस तरह के पुनीत कार्य समाज के लिए प्रेरणादायक होते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं के समय वीडियो बनाने या फोटो खींचने से परहेज करना चाहिए और घायल की मदद करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि दुर्घटना में घायलों की मदद करना पुनीत कार्य है और घायल व्यक्ति की गोल्डन आवर्स में की गई मदद उसकी जान बचा सकती है। उन्होंने कहा कि इस जागरूकता अभियान में बच्चों ने जिस तरह नारा लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता और निबंध लेखन में अपनी प्रतिभा दिखाई है वह सभी के लिए प्रेरणादायक है। युवा पीढ़ी ओवर स्पीड, स्टंट, नशे में वाहन चलाने में काफी आगे है, इससे बचने के लिए उन्हें जागरूक करना सबका दायित्व है। हमें ट्रैफिक नियमों का पालन सख्ती से करना चाहिए। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिसमें रक्तदान शिविर, आंख जांच शिविर, पत्रक वितरण, जागरूकता शिविर आदि शामिल रहे। इसके साथ चित्रकला, नारा लेखन और निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन ऑनलाइन किया गया, जिसमें 498 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें जूनियर और सीनियर श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए गए।

पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के ट्रेंड पर जानकारी दी। उन्होंने कहा सेब सीजन में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया। इस वजह से वर्ष 2023 और 2024 में 80 फीसदी सड़क दुर्घटनाएं कम हुई है।

उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए आम जनता को ट्रैफिक कर्मियों का सहयोग देना चाहिए। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश विवि के सामाजिक कार्य विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. अनुपमा भारती ने ट्रैफिक नियमों व जागरूकता अभियान पर किए सर्वेक्षण पर जानकारी साझा की। कार्यक्रम में सहायक जिला अटॉर्नी शिवानी चौहान, कांस्टेबल राकेश कुमार और महिला आरक्षी निकिता वर्मा ने सामाजिक अनुभवों को साझा किया।

बेहतरीन कार्य करने पर इन्हें किया सम्मानित

कार्यक्रम सड़क सुरक्षा माह के तहत बेहतरीन कार्य करने पर डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा, एसडीपीओ ठियोग सिद्धार्थ शर्मा, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉ. सुरभी ठाकुर, हिमाचल प्रदेश विवि के सामाजिक कार्य विभाग की एचओडी डॉ. अनुपमा भारती, सेवानिवृत्त उपनिदेशक परिवहन विभाग ओंकार सिंह, एएसआई धर्मेंद्र, एएसआई परमजीत, कांस्टेबल सुनीता, कांस्टेबल मधु, कांस्टेबल स्मृति, कांस्टेबल महेश, कांस्टेबल दीपक, कांस्टेबल अक्षय व गृह रक्षक भूपेंद्र को सम्मानित किया गया।

चित्रकला प्रतियोगिता में निहारिका वर्मा अव्वल

इसके साथ ही ऑनलाइन आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में पहला पुरस्कार निहारिका वर्मा, दूसरा पुरस्कार कार्तव्या वर्मा, तीसरा पुरस्कार अविवशा शर्मा व सांत्वना पुरस्कार कनिष्का गोयल को दिया गया। इसके साथ ही सीनियर वर्ग में पहला पुरस्कार कृतिका शर्मा, दूसरा पुरस्कार मेधा, तीसरा पुरस्कार दिव्या व सांत्वना पुरस्कार शिव को दिया गया। निबंध प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में पहला पुरस्कार आर्या शर्मा, दूसरा पुरस्कार कनिष्का गोयल, तीसरा पुरस्कार तनिष्का ठाकुर व सांत्वना पुरस्कार आरोही मेहता को दिया गया व सीनियर वर्ग में पहला पुरस्कार निपुण वर्मा, दूसरा पुरस्कार मनत ठाकुर, तीसरा पुरस्कार खुशी ठाकुर तथा सांत्वना पुरस्कार उपासन ठाकुर को दिया गया। नारा लेखन प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में पहला पुरस्कार सानवी, दूसरा पुरस्कार दिव्या, तीसरा पुरस्कार विराज ठाकुर तथा सांत्वना पुरस्कार सुनाक्षी वर्मा को दिया गया तथा सीनियर वर्ग में पहला पुरस्कार रक्षा शर्मा, दूसरा पुरस्कार साहिल, तीसरा पुरस्कार अर्नव तथा सांत्वना पुरस्कार पलक को दिया गया।

हिमाचल दस्तक , दिनांक 01. फरवरी 2025
पेज न0 5, कालम 1,2,3,4,5

वाहनों के लिए एचपी-38 जे 0001 से 9999 सीरिज जारी

शिमला। प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिले के नूरपुर के लिए वाहन पंजीकरण सीरिज एचपी-38 जे में 0001 से 9999 नंबर जारी किए हैं। वाहनों का पंजीकरण करने वाले लोग इस सीरिज के नंबर अपने वाहनों के लिए ले सकते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम ने इसे लेकर अधिसूचना जारी की। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक 05. फरवरी 2025
पेज न0 2, कालम 1

हर दिन 45 बच्चे व किशोरों की सड़क हादसों में हो रही मौत

रिपोर्ट : साल 2011 से 2022 के बीच 18 साल या उससे कम आयु वालों की मौतें 113 फीसदी बढ़ीं

नई दिल्ली। भारत में हर दिन 45 बच्चे और किशोरों की सड़क हादसों में मौत हो रही है। साल 2011 से 2022 के बीच सड़क हादसों में मरने वाले 18 साल या उससे कम आयु के बच्चे और किशोरों की संख्या में 113 फीसदी का इजाफा हुआ है।

सभी तरह के सड़क हादसों में मरने वालों में 10 फीसदी बच्चे और किशोरों की हिस्सेदारी है। यह जानकारी बंगलूरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस) और यूनिसेफ की एक संयुक्त रिपोर्ट में सामने आई है जिसके मुताबिक भारत में बच्चों की मौत का प्रमुख कारण सड़क यातायात दुर्घटनाएं हैं। इस रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने बाल यात्री को लेकर कारों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। इसके मुताबिक, देश में सबसे ज्यादा बिक्री वाली 25 कारों का जब

बाल यात्री सुरक्षा को लेकर विश्लेषण किया गया तो 50 फीसदी से ज्यादा को सुरक्षा रेटिंग तीन या उससे कम दी गई। रिपोर्ट के निष्कर्ष बताते हैं कि 2011 और 2022 के बीच, बच्चों और किशोरों के बीच अनुमानित 198,236 सड़क दुर्घटनाएं हुईं और उनमें से लगभग 75 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं 14-17 वर्ष आयु वर्ग में हुईं। इसके अलावा, 2011 और 2022 के बीच इस समूह की मौतों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है। ब्यूरो

ट्रॉमा केयर केंद्र किए जा रहे मजबूत

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की उपायुक्त डॉ. जोया अली रिजवी ने कहा कि भारत में बाल और किशोर सड़क यातायात दुर्घटनाओं के बोझ, जोखिम और निर्धारकों पर आधारित यह रिपोर्ट भारत में बाल और किशोर सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की सिफारिश कर रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राजमार्गों के किनारे ट्रॉमा केयर केंद्र स्थापित करने और जिला अस्पतालों में दुर्घटना और आपातकालीन देखभाल को मजबूत करने के प्रयास जारी है।

खास बातें : ▪ लगभग 50% बच्चे और किशोरों की दुर्घटना स्थल पर मौत हुई। 21 फीसदी मामलों में सिर पर चोट लगने की वजह से मौत हुई जबकि 20 फीसदी मामलों में निचले अंगों को नुकसान पहुंचा। ▪ *10 राज्यों में 7024 बाल एवं किशोरों की सड़क हादसों में मौत, इनकी राष्ट्रीय स्तर पर 43 फीसदी हिस्सेदारी। इनमें हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं।*

गाड़ी चलाने से लेकर सुरक्षा तक कुप्रबंधन : निम्हांस के पूर्व निदेशक डॉ. गुरुराज ने कहा, बाल और किशोरों को लेकर हमारी अधिकांश सड़कें सुरक्षित नहीं है। इसके साथ वाहन चलाने के हमारे तौर तरीके, वाहनों में सुरक्षा उपायों का अभाव और सड़क सुरक्षा कुप्रबंधन मुख्य कारण हैं।

अमर उजाला, दिनांक 05. फरवरी 2025
पेज न0 12, कालम 5,6,7,8

तारादेवी में 75 गाड़ियों की जांची फिटनेस

शिमला। तारादेवी में वीरवार को 15 साल की अवधि पूरी कर चुके वाहनों की फिटनेस जांची गई। इस दौरान 75 वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए गए।

मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पंकज सिंह ने वाहनों की फिटनेस को जांचा। सुबह 10:00 से दोपहर 2:30 बजे तक वाहनों की जांच की गई। इसमें निजी वाहनों के अलावा टैक्सी, मैक्सी, पिकअप और अन्य वाहन शामिल थे। इस मौके पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। ब्यूरो

हिमाचल दस्तक, दिनांक 07. फरवरी 2025
पेज न0 02, कालम –4

खुशखबरी | परिवहन विभाग ने तेल कंपनियों को सौंपा जिम्मा; अब तक ग्रीन कॉरिडोर में लगाए 23 स्टेशन, बिजली बोर्ड को 38 के लिए दिए पैसे

हिमाचल में लगाए जाएंगे 60 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन

चीफ रिपोर्टर – शिमला

हिमाचल प्रदेश के ग्रीन कॉरिडोर में इस साल 60 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य तेल कंपनियों को दिया है, जिनसे काम करवाने का जिम्मा परिवहन विभाग का है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने तेल कंपनियों को लिखा है और उनसे बैठकें भी कर ली हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आरडी नजीम के साथ हुई बैठक में विस्तृत रणनीति पर चर्चा करने के साथ तेल कंपनियों को इस साल का लक्ष्य दे दिया गया है। प्रदेश के छह ग्रीन कॉरिडोर में इन चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित किया जाएगा। लगभग सभी नेशनल हाइवे व फोरलेन इसमें शामिल हैं, जहां पर लोगों को अपने

इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इस तरह की सुविधा मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रदेश में लागू करने से पहले सरकार चाहती है कि आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय भी चाहता है कि सभी राज्यों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में ऐसे स्टेशन स्थापित हों। खासकर हर पेट्रोल पंप पर इसकी व्यवस्था होनी

> “60 नए चार्जिंग स्टेशन लगाने का लक्ष्य दिया गया है। 38 के लिए पैसा जमा करवाया है, जिन पर काम भी शुरू हो चुका है। 23 स्टेशन लगा दिए गए हैं। ग्रीन कॉरिडोर में इन स्टेशनों की कोई कमी नहीं होगी
>
> **डीसी नेगी, आयुक्त, परिवहन विभाग**

चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंसेप्ट सफल हो पाएगा। इसके अलावा भी होटलों में ऐसे ईवी स्टेशन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। अभी तक सबसे अधिक शिमला में होटलों में भी ऐसे स्टेशन लगाए जा रहे हैं, ताकि वहां पर ठहरने वाले पर्यटकों को वहीं पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की सुविधा हासिल हो जाए। अभी तक राज्य में 23 स्टेशन परिवहन विभाग द्वारा तैयार करवा दिए गए हैं, इसमें एचआरटीसी ने भी लगाए हैं और कुछ पेट्रोल पंपों में लगाए जा चुके हैं। वहीं, 38 पेट्रोल पंपों पर आने वाले दिनों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए जाएंगे। उनके लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने बिजली बोर्ड का बाकायदा पैसा भी जमा करवा दिया है। इनके लगने के बाद अतिरिक्त रूप से 60 और चार्जिंग स्टेशन यहां पर स्थापित करने का लक्ष्य इस साल रखा गया है। शिमला में 20 प्राइवेट होटलों में ऐसे स्टेशन लगे हैं, वहीं एचपीटीडीसी के होटलों में भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा सरकारी रेस्ट हाउस व गेस्ट हाउस में भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। सरकार ने इसके लिए बेहतरीन पहल की है। हाल ही में युवाओं को स्वरोजगार देते हुए सरकार ने सरकारी महकमों में 100 इलेक्ट्रिक टैक्सियां चलाने को लेकर काम शुरू किया है।

बिजली वाली गाड़ियों से बदला जाएगा एचआरटीसी का बेड़ा

प्रदेश में एचआरटीसी का बेड़ा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से बदला जा रहा है। यहां भविष्य में 327 बसों की खरीद की जाएगी। इन बसों को चलाने के लिए भी जरूरी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हर जगह पर हों। तेल कंपनियों को जारी निर्देशों के मुताबिक उन्हें 60 पंपों पर इस साल ये स्टेशन लगाने हैं।

दिव्य हिमाचल दिनांक 07. फरवरी 2025
पेज न0 2, कालम 1,2,3,4,5

नए सेशन से नहीं मिलेगी एचआरटीसी की बसें

कॉन्वेंट स्कूलों को नए सत्र पर नहीं मिलेंगी निगम की बस सेवा

स्टाफ रिपोर्टर–शिमला

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम नए सत्र से कॉन्वेंट स्कूलों को स्पेशल बस सेवा नहीं देने वाला है। एचआरटीसी का कहना है कि एचआरटीसी सिर्फ सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त यात्रा देकर ही घाटे में नहीं जा रहा, बल्कि शिमला शहर के कॉन्वेंट स्कूलों के कारण भी 13 करोड़ की वार्षिक चपत लग रही है। एचआरटीसी ने शिमला शहर के कॉन्वेंट स्कूलों के लिए 56 बसें दी थी। इनमें डीजल और इलेक्ट्रिक मिक्स बसें दी गई हैं, लेकिन इन बसों के कारण ही 18 करोड़ का नुकसान हर साल परिवहन निगम उठा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह किराया कम होना है। इन स्कूलों को दी गई बसों के लिए एक रुपए 45 पैसे के हिसाब से किराया चार्ज हो रहा था, जबकि एचआरटीसी का अपना किराया बढ़ाकर दो रुपए 19 पैसे प्रति

या 600 रुपए मासिक आधार पर किराया लिया जा रहा था। यह स्लैब यात्रा की दूरी के हिसाब से बनाए गए हैं, लेकिन यह स्कूल बसें अपना खर्चा भी पूरा नहीं कर पा रही। ऐसे में स्कूल प्रबंधकों से को एचआरटीसी ने फुल किराया देने को कहा था, लेकिन स्कूल प्रबंधन इसके लिए नहीं मान रहे हैं। यही कारण है कि नए सत्र में अब कॉन्वेंट स्कूलों को एचआरटीसी स्पेशल बस सेवा नहीं देने वाला है। हालांकि स्कूल प्रबंधनों की ओर से लगातार डिमांड आ रही है, जिसे देखते हुए एचआरटीसी ने तय किया है कि बस सेवाएं उन स्कूलों को दी जाएंगी, जो पूरा किराया

> “अभी हमें आदेश मिले हैं कि कॉन्वेंट स्कूलों को नए सत्र पर कोई बस सेवा नहीं दी जाएगी। वहीं, उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद सिर्फ उन्हीं स्कूलों को बस सेवा दी जाएगी, जिनकी हमारे पास लिस्ट आएगी
>
> **अंकुर वर्मा, आरएम एचआरटीसी शिमला**

छोड़कर दूसरे रूट पर बसों को भेजेंगे तो वहां पर यात्रियों से पूरा किराया मिलेगा। यह बात अब एचआरटीसी की समझ में आ चुकी है और खुद को घाटे से उभारने के लिए एचआरटीसी की जो कवायद चल रही है, उसके तहत अब उसने शिमला के स्कूलों से पूरा पैसा वसूल किया जाएगा। अब उसी स्कूल के लिए बस चलाई जाएंगी जो पूरा पैसा देंगे,

दिव्य हिमाचल दिनांक 07. फरवरी 2025
पेज न0 3, कालम 1,2,3

उत्कृष्ट कार्य करने पर जोगिंद्र-ओंकार को सम्मान

शिमला। जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बुधवार को उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रधानाचार्य आईटीआई शिमला और सेवानिवृत्त उपनिदेशक परिवहन विभाग को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि आईटीआई शिमला (चौड़ा मैदान) के प्रधानाचार्य जोगिंद्र शर्मा और सेवानिवृत्त उपनिदेशक परिवहन ओंकार चंद दोनों ने जिला प्रशासन के कार्यों में उत्कृष्ट सहयोग दिया है। सेवानिवृत ओंकार शर्मा लगातार दस साल तक सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर जिला शिमला में कार्य कर चुके है। उनके प्रयासों से अभियान को धरातल में उतारने में सार्थकता मिली है। वहीं, आईटीआई शिमला में जिला प्रशासन के तहत कई कार्यक्रम करवाए जाते है। इसके अलावा यहां के बच्चों का सहयोग भी कार्यक्रमों में मिलता रहा है। उपायुक्त ने कहा जिला प्रशासन का प्रयास रहता है कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों, अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए।

दिव्य हिमाचल दिनांक 07. फरवरी 2025
पेज न0 5, कालम –1

सोलन और हमीरपुर में स्क्रैपिंग केंद्रों को मंजूरी

निजी वाहनों को स्वेच्छा से स्क्रैप करने पर टैक्स में मिलेगी 25% तक छूट

शिमला। 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए अब हिमाचल से चंडीगढ़ नहीं ले जाना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने दो वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों को संचालन की अनुमति दी है।

यह स्क्रैपिंग केंद्र सोलन और हमीरपुर में स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप करना अनिवार्य किया गया है। 15 साल पूरे होते ही वाहन का पंजीकरण खुद ही रद्द हो जाता है। पुराने वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण से बचाव के लिए 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश के सभी जिलों में वाहन स्क्रैपिंग केंद्र खोलने की योजना है।

पहले चरण में सोलन जिला के प्लॉट नंबर 5 इंडस्ट्रियल एरिया बनालगी और हमीरपुर जिला में वीपीओ गौना करोर तहसील नादौन में स्थापित केंद्रों को संचालन की अनुमति दी गई है। हिमाचल में अभी निजी वाहनों के लिए स्क्रैपिंग का नियम लागू नहीं है हालांकि लोग अपने 15 साल पुराने निजी वाहनों को स्वेच्छा से स्क्रैप करवा सकते हैं।

स्वेच्छा से स्क्रैप करवाने पर टोकन टैक्स और रोड टैक्स में निजी वाहनों पर 25 फीसदी और व्यवसायिक वाहनों पर 15 फीसदी एकमुश्त छूट का प्रावधान है। ब्यूरो

> प्रदेश के सभी जिलों में वाहन स्क्रैपिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना है। पहले चरण में सोलन और हमीरपुर जिला में वाहन स्क्रैपिंग केंद्र खोलने की अनुमति जारी की गई है। अब तक हिमाचल के वाहन स्क्रैपिंग के लिए बाहरी राज्यों में ले जाए जाते थे।
>
> – डीसी नेगी, निदेशक, परिवहन विभाग

अमर उजाला, दिनांक 08. फरवरी 2025
पेज न0 5, कालम –4,5,6

सोलन में अब 'HP 64 D-0001' नई सीरीज

ई-ऑक्शन से मनपसंद नंबर लेने के लिए न्यूनतम बोली पांच लाख रुपए

चीफ रिपोर्टर- शिमला

सोलन जिला में वाहनों की नई पंजीकरण संख्या को परिवहन विभाग ने अधिसूचित किया है। कोई भी व्यक्ति ई-ऑक्शन के माध्यम से च्वाइस के नंबर हासिल कर सकते हैं। सोमवार को परिवहन विभाग ने इसे अधिसूचित करते हुए ई-ऑक्शन में लोगों को बोली लगाने के लिए कहा है। नई सीरीज (एचपी 64 डी-0001) से शुरू होगी। इसमें न्यूनतम बोली पांच लाख रुपए की रखी गई है, जो भी व्यक्ति नंबरों के लिए आवेदन करेगा उसका पंजीकरण दो हजार रुपए में होगा और यह राशि नॉन रिफंडेबल होगी। प्रतिभागी द्वारा बोली के न्यूनत्तम मूल्य की 30 प्रतिशत राशि जो एक लाख 50 हजार रुपए बनती है पहले जमा करवानी होगी। यह राशि सफल बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य को असफल रहने पर पांच दिनों के अंदर वापस कर दी जाएगी। आवेदनों का पंजीकरण सोमवार दस फरवरी से शनिवार 15 फरवरी शाम पांच बजे तक होगा। रविवार के दिन पंजीकरण नहीं किया जाएगा। आवेदक केवल ई-ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। बोली की शुरुआत बोली के न्यूनत्तम मूल्य यानी पांच लाख रुपए की 20 प्रतिशत राशि एक लाख रुपए की बढ़ोतरी के साथ होगी। बोली के लिए प्रारंभिक राशि छह लाख रहेगी। इसके पश्चात बोली न्यूनतम मूल्य पांच लाख की दस प्रतिशत राशि जो कि 50 हजार होगी के साथ ही बढ़ सकती है। ई-ऑक्शन का परिणाम रविवार शाम पांच बजे घोषित किया जाएगा।

- परिवहन विभाग ने किया अधिसूचित, दो हजार में करवाएं पंजीकरण

तीन दिन में जमा करवानी होगी बकाया राशि

परिवहन विभग के मुताबिक सफल बोलीदाता को बकाया राशि तीन दिन के भीतर 19 फरवरी तक जमा करवानी होगी। उसके उपरांत ही उसे नंबर आबंटित किया जाएगा। अर सफल आवेदक किसी कारण विशेष पंजीकरण चिन्ह लेने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा करवाई गई 30 प्रतिशत अग्रिम राशि जो डेढ़ लाख बनती है वापस नहीं होगी। सरकारी कोष में यह राशि जमा होगी तथा यह नंबर दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को भी नहीं दिया जाएगा। इस नंबर के लिए विभाग द्वारा पुन:बोली लगाई जाएगी।

दिव्य हिमाचल दिनांक 11. फरवरी 2025
पेज न0 5, कालम –4,5,6,7

सोलन-हमीरपुर में स्क्रैप होंगे 15 साल पुराने वाहन

हिमाचल दस्तक ▪ शिमला

- पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर शुरू, 2 कंपनियों को जारी किए सर्टिफिकेट
- निजी वाहनों को स्क्रैप करने पर टैक्स में मिलेगी छूट

हिमाचल में ही अब 15 साल पुराने सरकारी वाहन स्क्रैप होंगे। परिवहन विभाग ने सोलन व हमीरपुर में स्क्रैपिंग सेंटरों को खोलने के लिए आरवीएसएफ सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं। ये दोनों सेंटर क्रियाशील हो गए हैं। प्रदेश में फिलहाल निजी गाड़ियों को स्क्रैप करने की सुविधा शुरू नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने निजी वाहन को स्क्रैप करवाना चाहता है तो करवा सकता है।

हिमाचल में पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और वाहन उद्योग के पुनर्विकास के लिए पुराने और अनुपयोगी वाहनों को सड़क से हटाने को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा लागू की गई है। इसके तहत हिमाचल में 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों की बोली लगाकर बाहरी राज्यों में स्क्रैपिंग के लिए भेजा रहा है। लेकिन अब पहली बार प्रदेश में ही वाहन मालिकों को स्क्रैपिंग की सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग ने सोलन और हमीरपुर की 2 कंपनियों को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सेंटर शुरू करने के लिए सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। इससे वाहन मालिकों को अब प्रदेश के सोलन और हमीरपुर में ही सरकारी और प्राइवेट 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी ने बताया कि हिमाचल में ही स्क्रैपिंग की सुविधा मिलने से लोगों को पुराने वाहनों के अच्छे दाम मिलेंगे। पहले पुराने वाहनों को बाहरी राज्य में भेजने के कारण अधिक किराया लगता था। इससे वाहन मालिकों को अच्छे दाम नहीं मिलते थे। वाहन के स्क्रैप होने पर मालिक को स्क्रैपिंग सेंटर की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीओडी) जारी होगा। नया वाहन खरीदते वक्त व्यक्ति को प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। जिस पर प्रदेश सरकार की ओर से 9 फरवरी, 2024 को मोटर वाहन कर अधिसूचना के मुताबिक टैक्स में छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि अभी 15 साल पुराने सरकारी वाहनों पर स्क्रैपिंग का नियम लागू हैं। ऐसे में सरकारी वाहनों के पंजीकरण के 15 साल पूरे होते ही अब खुद ही पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द समझा जाएगा। ये नियम 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो चुके हैं। अभी तक बाहरी राज्यों में 600 के करीब सरकारी वाहनों को स्क्रैप किया गया है।

यहां स्थापित हुए स्क्रैपिंग सेंटर

प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र खोले जाने की योजना है। अभी पहले चरण में सोलन और हमीरपुर दो जिलों में ये केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसमें सोलन में अमन साहनी और हमीरपुर में पूर्णिमा चौहान को सेंटर का सर्टिफिकेट जारी हुआ है। ये सेंटर सोलन जिला के प्लॉट नंबर 5 इंडस्ट्रियल एरिया बनालगी और हमीरपुर जिला में वीपीओ गौना करोर तहसील नादौन में स्थापित किए गए हैं।

हिमाचल दस्तक, दिनांक 08. फरवरी 2025
पेज न0 2, कालम –1,2,3,4

सावधानः अब बॉडी कैमरा की निगरानी में कटेंगे चालान

वाहन को रोकने से लेकर चालान की पूरी प्रक्रिया होगी कैद

राजेश कुमार ■ धर्मशाला

प्रदेश के चार जिलों कांगड़ा, चंबा, ऊना व हमीरपुर में अब सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना पर चालान बॉडी कैमरा की निगरानी में किए जाएंगे। चालान के लिए वाहन को रोकने से लेकर चालान काटने की पूरी प्रक्रिया कैमरे में कैद होगी। इन कैमरा में लाइव के साथ रिकार्डिंग की भी सुविधा होगी। आरटीओ फ्लाइंग स्क्वायड धर्मशाला द्वारा कार्यालय के तहत कार्यरत तीन ट्रैफिक इंस्पेक्टरों को तीन कैमरे उपलब्ध करवा दिए हैं। इन कैमरों में एक सिम डालने की भी व्यवस्था है, इसके माध्यम से चालान प्रक्रिया को लाइव किया जा सकेगा, साथ ही रिकार्डिंग भी की जा सकेगी। चालान काटने के दौरान फ्लाइंग स्क्वायड के ट्रैफिक इंस्पेक्टर का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। लोगों द्वारा इस तरह की शिकायत न आए कि चालान काटने वाली टीम ने दुर्व्यवहार किया है या फिर पैसों की मांग की गई है, इसी उद्देश्य से आरटीओ फ्लाइंग स्क्वायड की ओर से ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को बॉडी कैमरा उपलब्ध करवा गए हैं।

■ कैमरे में होगी लाइव और रिकार्डिंग की सुविधा

दोनों पक्षों का वार्तालाप होगा रिकार्ड

बॉडी कैमरा के माध्यम से चालान काटने की पूरी प्रक्रिया को लाइव भी देखा जा सकता है, यदि लाइव की सुविधा न हो तो उसमें रिकार्डिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। दोनों पक्षों की गतिविधियां व वार्तालाप कैमरे में कैद होगा। आरटीओ फ्लाइंग धर्मशाला के तहत तीन इंस्पेक्टर फील्ड में चालान करने के लिए जाते हैं, उन्हें बॉडी कैमरा उपलब्ध करवाए गए हैं।

"विभाग के तीन ट्रैफिक इंस्पेक्टरों को बॉडी कैमरे उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इन कैमरों में सिम डालने की भी व्यवस्था है, जोकि कैमरा में डालने के लिए इंस्पेक्टर्स को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इन कैमरों की मदद से चालान की पूरी प्रक्रिया को लाइव देखा जा सकेगा या फिर रिकॉर्ड किया जा सकेगा।

-नरेंद्र सिंह, आरटीओ फ्लाइंग स्क्वायड, धर्मशाला।

हिमाचल दस्तक, दिनांक 13. फरवरी 2025
पेज न0 2, कालम –1,2,3,4

नारकंडा, दत्तनगर और ज्यूरी में लगेंगे ई-चार्जिंग स्टेशन

रामपुर बुशहर। इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को परिवहन विभाग शिमला की ओर से तीन ई-चार्जिंग स्टेशन की सुविधा दी जाएगी। अब इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को चार्जिंग के लिए नहीं भटकना पड़ेगा।

नारकंडा, दत्तनगर और ज्यूरी में ई-चार्जिंग स्टेशन लगाने की औपचारिकताएं शुरू हो गई हैं। विभाग ने जमीन का चयन कर लिया है। यह जानकारी आरटीओ रामपुर जसपाल सिंह नेगी ने दी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार और विभाग इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट कर रहा है। ई-चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने के लिए परिवहन विभाग काम कर रहा है। संवाद

अमर उजाला, दिनांक 16. फरवरी 2025
पेज न0 8, कालम –3

अब कमर्शियल वाहन मालिक 31 मार्च तक जमा कर पाएंगे पैसेंजर गुड्स टैक्स

हिमाचल दस्तक ▪ शिमला

प्रदेश सरकार ने वाहनों पर लागू पैसेंजर गुड्स टैक्स (पीजीटी) की बकाया पेनल्टी एवं विशेष पथ कर जमा करवाने के लिए राहत प्रदान की है। राज्य सरकार के फैसले के बाद अब ऑपरेटर 31 मार्च तक पीजीटी जमा करवा सकते हैं। इससे प्रदेशभर के हजारों कार्मिशल वाहन संचालक लाभान्वित होंगे।

▪ राज्य सरकार ने पीजीटी जमा करवाने की तिथि बढ़ाई

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कई कमर्शियल वाहन मालिक ऐसे हैं जिन्होंने पीजीटी यानी पैंसेजर गुड्स टैक्स जमा नहीं करवाया है। कई कर्मिशयल ऑपरेटर ने राज्य सरकार से उक्त टैक्स जमा करवाने की अंतिम तिथि को बढ़ाने की मांग उठाई थी। राज्य सरकार द्वारा उनकी मांग को पूरा करते हुए तिथि बढ़ाई है। ऐसे में कर्मिशयल वाहन मालिक 31 मार्च तक पीजीकी के साथ बकाया पेनल्टी एवं विशेष पथ कर जमा करवा सकते हैं और सरकार द्वारा दी जा रही राहत का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद यह राहत नहीं मिलेगी और पीजीटी जमा न करवाने वाले टैक्सी व ऑपरेटर आबकारी विभाग के नियमों व शर्तों व जुर्माने के अनुसार ही पीजीटी जमा करवाना होगा।

क्लीयरेंस नहीं तो वाहनों की नहीं होगी पासिंग

प्रदेश में यदि कर्मिशयल वाहन मालिक आबकारी विभाग के पीजीटी टैक्स की क्लीयरेंस नहीं करते हैं तो ऐसे में परिवहन विभाग के एसआरटी के रूप में मिलने वाली सुविधाएं भी परिवहन विभाग नहीं देगा। वहीं वाहनों की पासिंग भी नहीं होगी। वहीं ट्रक टैक्सी व कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट की वाहन नहीं चला सकेंगे। ऐसे में अब वाहन मालिक सरकार की इस एकमुश्त राहत का लाभ उठा कर टैक्स जमा करवा सकते हैं।

हिमाचल दस्तक, दिनांक 18. फरवरी 2025

पेज न0 2, कालम –2,3,4

सड़क दुर्घटनाओं में इस वर्ष 10 फीसदी कमी का लक्ष्य तय

अभियान में जनभागीदारी से फैलाई सड़क सुरक्षा बारे जागरूकता

वरिष्ठ संवाददाता ▪ धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश में पिछले दो-तीन वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं व दुर्घटनाओं में मौत के मामलों में 2 से 3 फीसदी कमी दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष इन घटनाओं व मौत के मामलों में 10 फीसदी कमी लाने का लक्ष्य तय किया है, जिसके तहत एक माह का रोड सेफ्टी अभियान प्रदेशभर में चलाया गया।

▪ जागरूकता बोर्ड लगाने के साथ ब्लैक स्पॉट सुधार रहा विभाग

आरटीओ जिला कांगड़ा प्रदीप कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में 50 फीसदी कमी लाने का यूनाइटेड नेशन की ओर से लक्ष्य दिया गया है, उसके तहत अभियान के माध्यम से सड़क सुरक्षा अभियान में जनभागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। अभियान में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नैशनल हाईवे की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई। लोक निर्माण विभाग भी जागरूकता वाले साइन बोर्ड लगा रहा है और ब्लैक स्पॉट के सुधार में जुटा है। जिला कांगड़ा में परिवहन विभाग द्वारा अधिकतर चालान बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के काटे गए हैं, जबकि पुलिस विभाग द्वारा ओवरस्पीड के चालान काटे जा रहे हैं। सड़क सुरक्षा अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

दुर्घटनाओं में कमी के लिए अभियान

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार हर साल लगभग 80,000 लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, जिसका मुख्य कारण सड़क सुरक्षा जागरूकता की कमी है। भारत में, सड़क दुर्घटनाएं मृत्यु और चोट का एक प्रमुख कारण हैं और सड़क सुरक्षा जागरूकता एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बनी हुई है। जीवन बचाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सड़क सुरक्षा आवश्यक है।

2-3 साल में बढ़ी चालानों की संख्या

आरटीओ ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा किए जाने वाले चालानों की संख्या पिछले 2-3 साल में बढ़ी है। इसमें समस्या यह है कि चालान ऑनलाइन किए जा रहे हैं, जो लोगों के मोबाइल पर चालान का मैसेज जाता है, लेकिन देखने में आया है कि ऑनलाइन चालान का लोग भुगतान नहीं कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि जब जरूरत होगी, तभी चालान भरेंगे।

सख्त कार्रवाई करेगा विभाग

बकौल आरटीओ बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के मामलों में परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। विभाग का कहना है कि जरूरत पड़ी तो 3 माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड करेंगे तथा आरसी सस्पेंशन के लिए सभी आरएलए से भी आग्रह किया जाएगा, जिससे कि यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों में जागरूकता आए कि चालान कटा है तो भरना भी पड़ेगा।

हिमाचल दस्तक , दिनांक 01. फरवरी 2025

पेज न0 15, कालम1, 2,3,4

एडीसी डॉ. निधि पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की जागरूकता मैराथन

बिलासपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन

हिमाचल दस्तक ■ बिलासपुर

▮ कहा- यातायात नियमों के पालन से सड़क दुर्घटनाओं पर लगेगा अंकुश

सड़क सुरक्षा को लेकर 50 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में किया विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन : आरटीओ

आरटीओ राजेश कुमार कौशल ने बताया कि इस माह के दौरान 50 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में सड़क सुरक्षा को लेकर नुक्कड़ नाटक, गायन, निबंध, पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसके अलावा पंचायत स्तर पर भी नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पेट्रोल पंपों, ऑटोमोबाइल एजेंसियों, ड्राइविंग स्कूल, वाहन पासिंग व ड्राइविंग टेस्ट सेंटरों, पॉल्यूशन चेक सेंटरों पर भी विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां लोगों को यातायात नियमों, वाहन चालने के सही तरीकों और सड़क सुरक्षा उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई।

बिलासपुर में शुक्रवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता माह के समापन अवसर पर जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न शिक्षण संस्थानों के 100 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. निधि पटेल ने जागरूकता मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उपस्थित लोगों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई।

उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य है और सभी नागरिकों को इनका कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) और पुलिस विभाग को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए बधाई दी।

इस अवसर पर आरटीओ राजेश कुमार कौशल ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ एक जनवरी 2025 को उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक द्वारा शपथ दिलाकर किया गया था। इसके पश्चात आरटीओ ऑफिस, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग ने मिलकर जिले के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. निधि पटेल ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने सभी वाहन चालकों से अनुरोध किया कि वे नियमित रूप. से हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें। ट्रैफिक सिग्नल और गति सीमा का पालन करें तथा सड़क पर सतर्कता बरतें ताकि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

हिमाचल दस्तक , दिनांक 01. फरवरी 2025
पेज न0 6, कालम 2,3,4,5,6

गेयटी थियेटर में सड़क सुरक्षा माह का समापन व सम्मान समारोह आयोजित

दुर्घटना में घायलों की मदद करना पुनीत कार्यः ओंकार शर्मा

हिमाचल दस्तक ■ शिमला

बेहतरीन कार्य करने पर इन्हें किया सम्मानित

कार्यक्रम सड़क सुरक्षा माह के तहत बेहतरीन कार्य करने पर डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा, एसडीपीओ ठियोग सिद्धार्थ शर्मा, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉ. सुरभी ठाकुर, हिमाचल प्रदेश विवि के सामाजिक कार्य विभाग की एचओडी डॉ. अनुपमा भारती, सेवानिवृत्त उपनिदेशक परिवहन विभाग ओंकार सिंह, एएसआई धर्मेंद्र, एएसआई परमजीत, कांस्टेबल सुनीता, कांस्टेबल मधु, कांस्टेबल स्मृति, कांस्टेबल महेश, कांस्टेबल दीपक, कांस्टेबल अक्षय व गृह रक्षक भूपेंद्र को सम्मानित किया गया।

चित्रकला प्रतियोगिता में निहारिका वर्मा अव्वल

इसके साथ ही ऑनलाइन आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में पहला पुरस्कार निहारिका वर्मा, दूसरा पुरस्कार कार्तव्या वर्मा, तीसरा पुरस्कार अविवशा शर्मा व सांत्वना पुरस्कार कनिष्ठा गोयल को दिया गया। इसके साथ ही सीनियर वर्ग में पहला पुरस्कार कृतिका शर्मा, दूसरा पुरस्कार मेघा, तीसरा पुरस्कार दिव्या व सांत्वना पुरस्कार शिव को दिया गया। निबंध प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में पहला पुरस्कार आर्या शर्मा, दूसरा पुरस्कार कनिष्ठा गोयल, तीसरा पुरस्कार तनिष्का ठाकुर व सांत्वना पुरस्कार आरोही मेहता को दिया गया व सीनियर वर्ग में पहला पुरस्कार निपुण वर्मा, दूसरा पुरस्कार मनत ठाकुर, तीसरा पुरस्कार खुशी ठाकुर तथा सांत्वना पुरस्कार उपासन ठाकुर को दिया गया। नारा लेखन प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में पहला पुरस्कार सानवी, दूसरा पुरस्कार दिव्या, तीसरा पुरस्कार विराज ठाकुर तथा सांत्वना पुरस्कार सुनाक्षी वर्मा को दिया गया तथा सीनियर वर्ग में पहला पुरस्कार रधा शर्मा, दूसरा पुरस्कार साहिल, तीसरा पुरस्कार अर्नव तथा सांत्वना पुरस्कार पलक को दिया गया।

शिमला के गेयटी थियेटर में शुक्रवार को सड़क सुरक्षा माह के समापन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें राजस्व एवं गृह विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा ने बतौर मुख्यअतिथि शिरकत की। ओंकार शर्मा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के दौरान बचाव कार्यों में आमजन को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। इस तरह के पुनीत कार्य समाज के लिए प्रेरणादायक होते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं के समय वीडियो बनाने या फोटो खींचने से परहेज करना चाहिए और घायल की मदद करनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि दुर्घटना में घायलों की मदद करना पुनीत कार्य है और घायल व्यक्ति की गोल्डन आवर्स में की गई मदद उसकी जान बचा सकती है। उन्होंने कहा कि इस जागरूकता अभियान में बच्चों ने जिस तरह नारा लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता और निबंध लेखन में अपनी प्रतिभा दिखाई है वह सभी के लिए प्रेरणादायक है। युवा पीढ़ी ओवर स्पीड, स्टंट, नशे में वाहन चलाने में काफी आगे है, इससे बचने के लिए उन्हें जागरूक करना सबका दायित्व है। हमें ट्रैफिक नियमों का पालन सख्ती से करना चाहिए। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिसमें रक्तदान शिविर, आंख जांच शिविर, पत्रक वितरण, जागरूकता शिविर आदि शामिल रहे। इसके साथ चित्रकला, नारा लेखन और निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन ऑनलाइन किया गया, जिसमें 498 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें जूनियर और सीनियर श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए गए।

पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के ट्रेंड पर जानकारी दी। उन्होंने कहा सेब सीजन में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया। इस वजह से वर्ष 2023 और 2024 में 80 फीसदी सड़क दुर्घटनाएं कम हुई है।

उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए आम जनता को ट्रैफिक कर्मियों का सहयोग देना चाहिए। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश विवि के सामाजिक कार्य विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. अनुपमा भारती ने ट्रैफिक नियमों व जागरूकता अभियान पर किए सर्वेक्षण पर जानकारी साझा की। कार्यक्रम में सहायक जिला अटॉर्नी शिवानी चौहान, कांस्टेबल राकेश कुमार और महिला आरक्षी निकिता वर्मा ने सामाजिक अनुभवों को साझा किया।

हिमाचल दस्तक , दिनांक 01. फरवरी 2025
पेज न0 5, कालम 1,2,3,4,5

हर दिन 45 बच्चे व किशोरों की सड़क हादसों में हो रही मौत

रिपोर्ट : साल 2011 से 2022 के बीच 18 साल या उससे कम आयु वालों की मौतें 113 फीसदी बढ़ीं

नई दिल्ली। भारत में हर दिन 45 बच्चे और किशोरों की सड़क हादसों में मौत हो रही है। साल 2011 से 2022 के बीच सड़क हादसों में मरने वाले 18 साल या उससे कम आयु के बच्चे और किशोरों की संख्या में 113 फीसदी का इजाफा हुआ है।

सभी तरह के सड़क हादसों में मरने वालों में 10 फीसदी बच्चे और किशोरों की हिस्सेदारी है। यह जानकारी बंगलूरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस) और यूनिसेफ की एक संयुक्त रिपोर्ट में सामने आई है जिसके मुताबिक भारत में बच्चों की मौत का प्रमुख कारण सड़क यातायात दुर्घटनाएं हैं। इस रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने बाल यात्री को लेकर कारों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। इसके मुताबिक, देश में सबसे ज्यादा बिक्री वाली 25 कारों का जब

बाल यात्री सुरक्षा को लेकर विश्लेषण किया गया तो 50 फीसदी से ज्यादा को सुरक्षा रेटिंग तीन या उससे कम दी गई। रिपोर्ट के निष्कर्ष बताते हैं कि 2011 और 2022 के बीच, बच्चों और किशोरों के बीच अनुमानित 198,236 सड़क दुर्घटनाएं हुईं और उनमें से लगभग 75 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं 14-17 वर्ष आयु वर्ग में हुईं। इसके अलावा, 2011 और 2022 के बीच इस समूह की मौतों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है। ब्यूरो

ट्रॉमा केयर केंद्र किए जा रहे मजबूत

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की उपायुक्त डॉ. जोया अली रिजवी ने कहा कि भारत में बाल और किशोर सड़क यातायात दुर्घटनाओं के बोझ, जोखिम और निर्धारकों पर आधारित यह रिपोर्ट भारत में बाल और किशोर सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की सिफारिश कर रही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राजमार्गों के किनारे ट्रॉमा केयर केंद्र स्थापित करने और जिला अस्पतालों में दुर्घटना और आपातकालीन देखभाल को मजबूत करने के प्रयास जारी है।

खास बातें : ■ लगभग 50% बच्चे और किशोरों की दुर्घटना स्थल पर मौत हुई। 21 फीसदी मामलों में सिर पर चोट लगने की वजह से मौत हुई जबकि 20 फीसदी मामलों में निचले अंगों को नुकसान पहुंचा। ■ *10 राज्यों में 7024 बाल एवं किशोरों की सड़क हादसों में मौत, इनकी राष्ट्रीय स्तर पर 43 फीसदी हिस्सेदारी। इनमें हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं।*

गाड़ी चलाने से लेकर सुरक्षा तक कुप्रबंधन : निम्हांस के पूर्व निदेशक डॉ. गुरुराज ने कहा, बाल और किशोरों को लेकर हमारी अधिकांश सड़कें सुरक्षित नहीं है। इसके साथ वाहन चलाने के हमारे तौर तरीके, वाहनों में सुरक्षा उपायों का अभाव और सड़क सुरक्षा कुप्रबंधन मुख्य कारण हैं।

अमर उजाला, दिनांक 05. फरवरी 2025
पेज न0 12, कालम 5,6,7,8

तारादेवी में 75 गाड़ियों की जांची फिटनेस

शिमला। तारादेवी में वीरवार को 15 साल की अवधि पूरी कर चुके वाहनों की फिटनेस जांची गई। इस दौरान 75 वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किए गए।

मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पंकज सिंह ने वाहनों की फिटनेस को जांचा। सुबह 10:00 से दोपहर 2:30 बजे तक वाहनों की जांच की गई। इसमें निजी वाहनों के अलावा टैक्सी, मैक्सी, पिकअप और अन्य वाहन शामिल थे। इस मौके पर भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। ब्यूरो

हिमाचल दस्तक, दिनांक 07. फरवरी 2025
पेज न0 02, कालम –4

नए सेशन से नहीं मिलेगी एचआरटीसी की बसें

कॉन्वेंट स्कूलों को नए सत्र पर नहीं मिलेंगी निगम की बस सेवा

स्टाफ रिपोर्टर—शिमला

हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम नए सत्र से कॉन्वेंट स्कूलों को स्पेशल बस सेवा नहीं देने वाला है। एचआरटीसी का कहना है कि एचआरटीसी सिर्फ सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त यात्रा देकर ही घाटे में नहीं जा रहा, बल्कि शिमला शहर के कॉन्वेंट स्कूलों के कारण भी 13 करोड़ की वार्षिक चपत लग रही है। एचआरटीसी ने शिमला शहर के कॉन्वेंट स्कूलों के लिए 56 बसें दी थी। इनमें डीजल और इलेक्ट्रिक मिक्स बसें दी गई हैं, लेकिन इन बसों के कारण ही 18 करोड़ का नुकसान हर साल परिवहन निगम उठा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह किराया कम होना है। इन स्कूलों को दी गई बसों के लिए एक रुपए 45 पैसे के हिसाब से किराया चार्ज हो रहा था, जबकि एचआरटीसी का अपना किराया बढ़ाकर दो रुपए 19 पैसे प्रति

या 600 रुपए मासिक आधार पर किराया लिया जा रहा था। यह स्लैब यात्रा की दूरी के हिसाब से बनाए गए हैं, लेकिन यह स्कूल बसें अपना खर्चा भी पूरा नहीं कर पा रही। ऐसे में स्कूल प्रबंधकों से को एचआरटीसी ने फुल किराया देने को कहा था, लेकिन स्कूल प्रबंधन इसके लिए नहीं मान रहे हैं। यही कारण है कि नए सत्र में अब कॉन्वेंट स्कूलों को एचआरटीसी स्पेशल बस सेवा नहीं देने वाला है। हालांकि स्कूल प्रबंधनों की ओर से लगातार डिमांड आ रही है, जिसे देखते हुए एचआरटीसी ने तय किया है कि बस सेवाएं उन स्कूलों को दी जाएंगी, जो पूरा किराया

"अभी हमें आदेश मिले हैं कि कॉन्वेंट स्कूलों को नए सत्र पर कोई बस सेवा नहीं दी जाएगी। वहीं, उच्चाधिकारियों के आदेश के बाद सिर्फ उन्हीं स्कूलों को बस सेवा दी जाएगी, जिनकी हमारे पास लिस्ट आएगी

अंकुर वर्मा, आरएम एचआरटीसी शिमला

छोड़कर दूसरे रूट पर बसों को भेजेंगे तो वहां पर यात्रियों से पूरा किराया मिलेगा। यह बात अब एचआरटीसी की समझ में आ चुकी है और खुद को घाटे से उभारने के लिए एचआरटीसी की जो कवायद चल रही है, उसके तहत अब उसने शिमला के स्कूलों से पूरा पैसा वसूल किया जाएगा। अब उसी स्कूल के लिए बस चलाई जाएगी जो पूरा पैसा देंगे,

दिव्य हिमाचल दिनांक 07. फरवरी 2025
पेज न0 3, कालम 1,2,3

सोलन और हमीरपुर में स्क्रैपिंग केंद्रों को मंजूरी

निजी वाहनों को स्वेच्छा से स्क्रैप करने पर टैक्स में मिलेगी 25% तक छूट

प्रदेश के सभी जिलों में वाहन स्क्रैपिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना है। पहले चरण में सोलन और हमीरपुर जिला में वाहन स्क्रैपिंग केंद्र खोलने की अनुमति जारी की गई है। अब तक हिमाचल के वाहन स्क्रैपिंग के लिए बाहरी राज्यों में ले जाए जाते थे।

– डीसी नेगी, निदेशक, परिवहन विभाग

शिमला। 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए अब हिमाचल से चंडीगढ़ नहीं ले जाना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने दो वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों को संचालन की अनुमति दी है।

यह स्क्रैपिंग केंद्र सोलन और हमीरपुर में स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में 15 साल पुराने सरकारी वाहनों को स्क्रैप करना अनिवार्य किया गया है। 15 साल पूरे होते ही वाहन का पंजीकरण खुद ही रद्द हो जाता है। पुराने वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण से बचाव के लिए 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की व्यवस्था लागू की गई है। प्रदेश के सभी जिलों में वाहन स्क्रैपिंग केंद्र खोलने की योजना है।

पहले चरण में सोलन जिला के प्लॉट नंबर 5 इंडस्ट्रियल एरिया बनालगी और हमीरपुर जिला में वीपीओ गौना करोर तहसील नादौन में स्थापित केंद्रों को संचालन की अनुमति दी गई है। हिमाचल में अभी निजी वाहनों के लिए स्क्रैपिंग का नियम लागू नहीं है हालांकि लोग अपने 15 साल पुराने निजी वाहनों को स्वेच्छा से स्क्रैप करवा सकते हैं।

स्वेच्छा से स्क्रैप करवाने पर टोकन टैक्स और रोड टैक्स में निजी वाहनों पर 25 फीसदी और व्यवसायिक वाहनों पर 15 फीसदी एकमुश्त छूट का प्रावधान है। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक 08. फरवरी 2025
पेज न0 3, कालम –4,5,6

शराब पीकर वाहन चलाने वाले अब सलाखों के पीछे जाएंगे

हादसों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस करेगी सख्ती

शिमला। प्रदेश में अब शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले सलाखों के पीछे जाएंगे। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 में पुलिस ने नियमों में सजा का प्रावधान किया है।

अभी तक कोई शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होता है। ड्रिंक एंड ड्राइव पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को शराब पीकर वाहन चलाने के बार-बार अपराध करने वालों का डाटा बैंक तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, इसके बाद इस डाटा को टीटीआर विंग को भेजना होगा। बीते वर्ष सड़क दुर्घटनाओं के 21, 421 मामले सामने आए।

इनमें से यातायात, पर्यटक और रेलवे विंग ने एक हजार हादसों के रक्त नमूनों को जांच के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा। विश्लेषण में 229 नमूनों में अल्कोहल की मात्रा पाई गई है, जो कुल नमूनों का लगभग 25 फीसदी है। इनमें सबसे अधिक 34 मामले शिमला, बिलासपुर 15, चंबा 9, देहरा 7, हमीरपुर 12, कांगड़ा 11, किन्नौर 10, कुल्लू 23, मंडी 20, नूरपुर 5, सिरमौर 13, सोलन 32 और ऊना से जुड़े 30 मामले हैं। एआईजी टीटीआर विनोद कुमार ने कहा कि ड्रिंक एंड ड्राइव से जुड़े मामलों में कड़ी कार्रवाई होगी। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक 21. फरवरी 2025
पेज न0 2, कालम –2,3,4

सड़क सुरक्षा नियमों की सख्ती से अनुपालना हो सुनिश्चित : भारद्वाज

मुख्य संवाददाता ■ धर्मशाला

- **दुर्घटना संभावित जगहों पर साइन बोर्ड लगाने के दिए निर्देश**
- **नाबालिग बच्चों को गाड़ी देने पर अभिभावकों पर होगी कार्रवाई**

लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि जिला में सड़क सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए ताकि प्रतिदिन जिला में होने वाली दुर्घटनाओं को और कम किया जा सके। उन्होंने संबंधित विभागों से युवा पीढ़ी को सड़क सुरक्षा तथा नशे की बुराइयों के बारे में जागरूक करने के लिए विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विशेष जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।

वीरवार को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि भारत में ही प्रतिवर्ष सड़क हादसों के कारण डेढ़ लाख के करीब लोग जान गंवाते हैं, जिनमें 18 से 45 वर्ष आयुवर्ग के ज्यादा लोग सड़क हादसों के शिकार होते हैं। उन्होंने कहा कि सड़क हादसों को रोकने के लिए जागरूकता जरूरी है इसके लिए नियमित तौर पर चालकों के आंखों के चेकअप कैंप, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था के साथ-साथ युवक मंडलों तथा पंचायत स्तर पर यातायात नियमों की जानकारी देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ओवरस्पीड की पूरी तरह से निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न जगहों पर धर्मशाला की तर्ज पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम विकसित किया जाए। सांसद राजीव भारद्वाज ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की सहायता के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से 'गुड स्मार्टियंस' नामक योजना आरंभ की गई है। इसमें सड़क दुर्घटना में पीड़ित को हादसे के तुरंत बाद शुरुआती एक घंटे के भीतर 'गोल्डन आवर' में अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने का प्रयास करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र तथा 5000 रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इससे पहले आरटीओ प्रदीप कुमार ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए रोड सेफ्टी को लेकर कांगड़ा जिला में उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर डीसी हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक नुरपुर अशोक रत्न आदि मौजूद रहे।

हिमाचल दस्तक, दिनांक 21. फरवरी 2025
पेज न0 6, कालम –3,4

जागरूक कर रहे; चालान भी काटे जा रहे, लापरवाही से हो रहा नुकसान

5 साल, 5.15 लाख चालान, हादसों में 400 की जान गई

पुनीत शर्मा ▮ धर्मशाला

सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद प्रदेश में हादसों को ब्रेक नहीं लग पा रही। प्रदेश के सबसे बड़े जिला के पुलिस फाइलों में दर्ज दुर्घटना आंकड़ों की मानें तो 2020 से 2024 तक के 5 सालों में करीब 400 लोग मौत का शिकार हुए तो वहीं करीब 1980 लोग गंभीर या सामान्य रूप से घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ट्रैफिक नियमों की अनुपालना को जागरूकता प्रसार के अलावा 5 साल में करीब 5.15 लाख चालान कर चुकी है।

▮ जिला में 2022 में सबसे ज्यादा, गत साल हुए कम हादसे

साल 2020 में 126231, 2021 में 90275, साल 2022 में 89832, साल 2023 में 109351 तथा 2024 में करीब 90 हजार चालान कर चुकी है। जागरूकता तथा कारवाई के बावजूद हालातों में कोई ज्यादा अंतर नहीं दिखता। हालांकि गत साल कम हादसे जिला में दर्ज हुए हैं।

वर्ष 2020 में जिले में कुल 274 सड़क हादसों में 71 की मौत हुई तथा 331 लोग घायल हुए। साल 2021 में 273 सड़क दुर्घटनाओं में 75 लोगों की मौत हुई, जबकि 393 लोग जख्मी हुए। साल 2022 में कुल 306 दुर्घटनाओं में 77 लोगों की मौत हुई, जबकि 377 लोग घायल हुए। साल 2023 में कुल 294 सड़क दुर्घटनाओं में 93 लोगों की जान चली गई तथा 377 घायल हुए। गत साल कुल 190 हादसों में 85 लोग अकाल मौत का ग्रास बने जबकि करीब 300 लोग घायल हुए हैं।

> पुलिस लोगों को जागरूक करती है तथा समय-समय पर चालान जैसी कार्रवाई भी की जाती है। जिला के लोगों व खासकर वाहन चलाने वालों से आह्वान है कि वाहन चलाते समय लापरवाही न करें और सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करें ताकि हादसों में कमी आए।
>
> **-बीर बहादुर, एसपी, धर्मशाला।**

हिमाचल दस्तक, दिनांक 21. फरवरी 2025
पेज न0 12, कालम –2,3,4,5

नारों से बताए सड़क सुरक्षा नियम

मशोबरा स्कूल में छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली

हिमाचल दस्तक ▮ शिमला

छात्रों को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए वीरवार को राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मशोबरा में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। अभियान के तहत छात्रों ने सुबह के समय विद्यालय से एक जागरूकता रैली निकाली। छात्रों ने नारे लगाकर स्थानीय लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया।

छात्रों ने कहा कि जो सुरक्षा को तोड़ेगा वह इस दुनिया को छोड़ेगा, लाल बत्ती का रखे ध्यान नहीं तो कट जाएगा चालान। प्रधानाचार्या वंदना मच्छान ने कहा कि सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का आयोजन करना स्कूल के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अभियान का उद्देश्य छात्रों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है, ताकि सड़क हादसों में कमी आ सके और किसी का बहुमूल्य जीवन बच सके। विद्यालय के सड़क सुरक्षा क्लब प्रभारी विजय कुमार शर्मा द्वारा विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में बताया गया। इसके अलावा स्थानीय समुदाय को भी सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान छात्रों ने नारों व स्लोगनों से लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम बताए।

हिमाचल दस्तक, दिनांक 21. फरवरी 2025
पेज न0 12, कालम –1,2,3

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, 55 वाहनों के चालान

ट्रैफिक मजिस्ट्रेट की अगुवाई में पुलिस कार्रवाई, 1.20 लाख रुपये वसूला जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी

शिमला। प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर ट्रैफिक मजिस्ट्रेट की कार्रवाई लगातार जारी है। राजधानी के संजौली और तारादेवी क्षेत्र में ट्रैफिक मजिस्ट्रेट सोमदेव की अगुवाई में पुलिस ने नाकेबंदी कर अभियान चलाया।

सुबह 11 से लेकर शाम 6 बजे तक किए निरीक्षण के दौरान 55 वाहनों के चालान काटे गए। वाहन चालकों से 1 लाख 20 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया। इसमें 43 चालान एलईडी लाइट और 8 चालान अतिरिक्त मोडिफिकेशन के काटे गए। चार वाहनों से हूटर उतरवाए गए। यह सभी वाहन बाहरी राज्य के थे। निरीक्षण के दौरान ट्रैफिक मजिस्ट्रेट ने चालकों को मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों की अवहेलना करने को लेकर कड़ी हिदायत दी।

पुलिस ने मौके पर 36 वाहनों से निकलवाई एलईडी

इससे पहले निरीक्षण के दौरान संजौली में 20 एलईडी लाइट और 3 वाहनों के फ्लैग रॉड के चालान किए गए। अतिरिक्त मोडिफिकेशन और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी दो चालक पकड़े गए। इसके अलावा शिमला-सोलन राष्ट्रीय राजमार्ग पर तारादेवी में 17 चालान एलईडी, 8 बिना सीट बेल्ट, ड्राइविंग लाइसेंस के बिना 2 चालन किए गए। इसके साथ की 3 चालान वाहनों में अतिरिक्त मोडिफिकेशन के काटे गए। इस दौरान पुलिस ने मौके पर ही वाहनों से एलईडी उतरवाकर कब्जे में लिया। ट्रैफिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को वाहनों में अतिरिक्त मोडिफिकेशन करने और ब्लैक फिल्म लगाने पर कार्रवाई करने के सख्त दिशा निर्देश दिए।

वहीं ट्रैफिक मजिस्ट्रेट की कार्रवाई के दौरान बाहरी राज्य के चार वाहनों के अंदर हूटर मिले। 5 गाड़ियां फ्लैग रॉड लगाकर सड़कों पर दौड़ रही थीं, इनके भी चालान काटे।

अमर उजाला, दिनांक 22. फरवरी 2025
पेज न0 5, कालम –2,3,4

सड़क सुरक्षा नियमों का करें पालन

हिमाचल दस्तक ■ शिमला

राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय चौड़ा मैदान कोटशेरा में सड़क सुरक्षा क्लब द्वारा छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महाविद्यालय में भाषण प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग व स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में महाविद्यालय के 50 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. गोपाल चौहान ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्यअतिथि शिरकत की। महाविद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि विभिन्न स्तर पर शैक्षणिक, गैर-शैक्षणिक कर्मचारी तथा विद्यार्थियों को समय-समय पर सड़क सुरक्षा नियमों के विषय में जानकारी दी जाती है। सड़क सुरक्षा को समझना और इसका पालन करना हमारे जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिया कॉलेज में एक सड़क सुरक्षा जागरूकता क्लब का भी गठन किया गया है। क्लब के सदस्य छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते रहते है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल एक कानूनी विषय नहीं है, यह एक सामाजिक, पारिवारिक और भावनात्मक विषय भी है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के साथ नशे से भी दूर रहने की अपील की। प्राचार्य ने भारतीय संविधान में सड़क सुरक्षा से संबंधित कई कानून, मोटर वाहन अधिनियम तथा भारतीय न्याय संहिता के अन्य कानूनी प्रावधानों की भी विद्यार्थियों को जानकारी दी। कार्यक्रम की सहसंयोजक डॉ. स्नेहा ने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों के लिए भाषण प्रतियोगिता नारा लेखन तथा पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इन सभी प्रतियोगिताओं का विषय सड़क सुरक्षा तथा संबंधित कानून के प्रति जागरूकता फैलाना रहा।

भाषण में हेमराज व नारा लेखन में पल्लवी प्रथम

इस दौरान आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हेमराज ने, द्वितीय स्थान नवीन कुमार व तृतीय स्थान संयुक्त रूप से मनीष व अक्षित ने प्राप्त किया। नारा लेखन में प्रथम स्थान पल्लवी, द्वितीय स्थान श्रेया ठाकुर और तृतीय स्थान सुमित ने प्राप्त किया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तनीषा, द्वितीय स्थान बीरू और तृतीय स्थान हिमानी ने प्राप्त किया।

हिमाचल दस्तक, दिनांक 21. फरवरी 2025
पेज न0 12, कालम –1,2,3

सुन्नी कॉलेज में सड़क सुरक्षा के नियम बताए

छात्रों ने निकाली जागरूकता रैली, दुर्घटनाओं को रोकने के टिप्स दिए

हिमाचल दस्तक ■ सुन्नी

अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय महाविद्यालय सुन्नी में सड़क सुरक्षा क्लब द्वारा सोमवार को जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण नियमों और सिद्धांतो के बारे में बताया गया। रैली का शुभारंभ प्राचार्या प्रो. अंजलि चौहान द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने छात्रों को सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाया और सभी को इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। रैली में रोड सुरक्षा क्लब के सदस्य, राष्ट्रीय सेवा योजना, नैशनल कैडेट कोर और रोवर रेंजर्स के छात्रों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्रों ने रैली के दौरान सड़क सुरक्षा से संबंधित स्लोगन और पोस्टर के माध्यम से सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों के बारे आमजन को जागरूक किया। प्रो. अंजलि चौहान ने कहा कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने से हम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान भी बचा सकते हैं। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वह इन नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करें। यह रैली छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की गई, ताकि सड़क पर सुरक्षित यात्रा की आदतें प्रोत्साहित की जा सकें। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा क्लब के नोडल ऑफिसर प्रो. दामोदर गौतम व अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।

हिमाचल दस्तक, दिनांक 25. फरवरी 2025

पेज न0 04, कालम –3,4,5

****